

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 196 /2024 दिनांक 20.08.2024

श्रीमती रेनू शकीत(RJ00816), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) को दिनांक 27.08.2024 से 12.09.2024 तक 17 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 24.08.2024 से 26.08.2024 एवं 13.09.2024 से 15.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शकीत की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/98/2013/ 6581

दिनांक :20.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 28248 दिनांक 01.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रेनू शकीत(RJ00816), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर)।

सहायक रजिस्ट्रार